

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों में नामित सूचना अधिकारियों पर अरोपित अर्थात् डाक विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	जन-सूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध डाक पारित किया गया	डाक पारित करने का दिनांक	डाक से निहित धनराशि	पारित डाक के विरुद्ध विभाग द्वारा वसूल की गयी धनराशि की अवलोकन स्थिति	विभाग द्वारा जन-सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	पारित डाक के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	वर्णन
01	राज्य विमान, मुरादाबाद जैन, मुरादाबाद	श्री रमा शंकर, उपायुक्त राज्य कर	11-07-2018	₹0 5,000/-	शून्य	शून्य	श्री धर्मवीर सिंह द्वारा भागी गयी जनसूचना के सम्बन्ध में भारतीय राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने अर्द्ध डाक-11.07.2018 द्वारा तत्कालीन हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर, मुरादाबाद पर यात्री को मूलना उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में धारित २०-5000.00 का अर्द्ध डाक दिनांक 11-07-2018 को हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद पर लगाया गया है, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन हिन्दी कमिशनर के वेतन से उक्त धारित धनराशि रुपये 5000-00 की कटौती हेतु हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा को हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 2905 दिनांक 13-03-2020 द्वारा धारित की धनराशि के जमा के साथ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। सूचना प्राप्त न होने की दशा में हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 1931 दिनांक 01-02-2021 द्वारा हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा को अनुरोध प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा द्वारा तत्कालीन हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद को अपने पत्र संख्या- 305 दिनांक 18-02-2021 द्वारा उपरोक्त धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। अर्द्ध डाक जमा न होने की दशा में हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र सं० 458 दिनांक 28-06-2021 द्वारा तत्कालीन हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र सं० 458 क्रम में तत्कालीन हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद वर्तमान हिन्दी कमिशनर (वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर, इटावा द्वारा पत्र संख्या 458 दिनांक 28.6.2021 प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि मा० आयोग द्वारा उक्त बात में सुनवाई हेतु निवृत्त दिनांक 03.08.2021 के उपरान्त आरोपित अर्द्ध डाक रुपये. 5000.00 की वसूली गमाव करते हुये वाद निस्तारित कर दिया गया है। किन्तु इस संबंध में स्पष्ट आदेश के अभाव में धारित शून्य 5000.00 जमा कराने हेतु पत्र: पत्र संख्या 1686 दिनांक 27.12.2021 तथा पुन- पत्र संख्या 137 दिनांक 31-05-22 व पत्र सं०- 2221 दिनांक 31-03-23 व पत्र सं० 1425 दिनांक 21.11.2023 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है जमा प्रमाण प्राप्त होते ही साथ महीदय की सेवा में प्रेषित कर दिया जायेगा। द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।	
02	राज्य विमान, मुरादाबाद जैन, मुरादाबाद	श्री दिव्यामूर्ति, कार्यालय राज्य कर अधिकारी छुट्ट-2 नवीनवादा।	16-07-2018	₹0 25000.00	अधिराजित अर्द्ध डाक जमा कराये जाने हेतु मन्व्यधित डाक के दि०कमि० को दश मगर से पत्र मा० 1153 दि० 01-03-2023 प्रेषित किये गये हैं।	शून्य	अधिराजित अर्द्ध डाक के सम्बन्ध में भारतीय विनाशिका की विज्ञापन के पत्र संख्या- 220 दिनांक 24-02-2020 को दश कार्यालय को दिनांक 25-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है। अर्द्ध डाक समाप्ति हेतु इस स्तर में भारतीय सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तावित पत्र संख्या- 589 दिनांक 25-02-2021 से किया गया है जो मा० राज्य सूचना आयोग में सम्मिलित है। इस कार्यालय द्वारा उपायुक्त राज्य कर, डाक-2 नवीनवादा महीदय को पत्र सं० 801 दिनांक 17-02-2022 लिखा गया तथा श्री दिव्यामूर्ति, उपायुक्त राज्य कर, डाक-4, सेठ महीदय को पत्र मा० 140 दि० 09-05-2014 व पत्र मा०- 1151 दिनांक 01-03-2023 को अर्द्ध डाक जमा कराने हेतु प्रेषित किये गये हैं।	शून्य